संख्या- 130/2015/615/22-4-15-119(ब)/2000टी0सी0-8(ए)

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक- 24 जून, 2015**

विषय- प्रदेश की कारागारों एवं जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्षों के निर्माण हेतु निर्गत प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-17064/नम-2, दिनांक 15.5.2015 एवं शासनादेश संख्या-91/2015/402/22-4-15-119(ब)/2000टीसी-8(ए), दिनांक 29.03.2015 के क्रम मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय निम्न तालिका में उल्लिखित जनपदों के कारागारों/न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्षों के निर्माण हेतु स्वीकृत लागत की 50 प्रतिशत धनराशि रू0 4,96,71,500/-(रूपया चार करोड. छियान्नवे लाख इकहत्तर हजार पॉच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0	कारागार का नाम	स्वीकृत लागत	क्र0	जनपद न्यायालय	स्वीकृत लागत	योग कालम (3+ 7)	स्वीकृत 50 प्रतिशत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जिला कारागार, सोनभद्र	25.84	1	सोनभद्र	43.50	69.34	34.67
2	उप कारागार, देवबन्द	25.84	2	-	-	25.84	12.92
3	केन्द्रीय कारागार, वाराणसी	25.84	3	-	-	25.84	12.92
4	-	-	4	अम्बेडकरनगर	43.50	43.50	21.75
5	-	-	5	औरैया	43.50	43.50	21.75
6	-	-	6	चन्दौली	43.50	43.50	21.75
7	-	-	7	अमेठी	43.50	43.50	21.75
8	-	-	8	गौतमबुद्धनगर	43.50	43.50	21.75
9	-	-	9	हाथरस	43.50	43.50	21.75
10	-	-	10	अमरोहा	43.50	43.50	21.75
11	-	-	11	कुशीनगर	43.50	43.50	21.75
12	-	-	12	संतकबीरनगर	43.50	43.50	21.75
13	-	-	13	श्रावस्ती	43.50	43.50	21.75
14	-	-	14	आजमगढ़	43.50	43.50	21.75
15	-	-	15	हापुड़	43.50	43.50	21.75
16	-	-	16	सम्भल	43.50	43.50	21.75
17	-	-	17	शामली	43.50	43.50	21.75
18	जिला कारागार, झांसी	27.03	18	झांसी	45.58	72.61	36.305

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

19	जिला कारागार, ललितपुर	27.03	19	ललितपुर	45.58	72.61	36.305
20	जिला कारागार, उरई	27.03	20	उरई	45.58	72.61	36.305
21	-	-	21	चित्रकूट	45.58	45.58	22.79
						योग-	**496.715**
(रूपया चार करोड़ छियानवे हजार इकहत्तर हजार पॉच सौ मात्र)							

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(3) लेबरसेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.12.2015 तक कर लिया जाय।

(6) कार्यपूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

2- प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 29.03.2015 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

3- परियोजना की मासिक भौतिक/वित्तीय प्रगति आख्या शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

4- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-16-प्रदेश की कारागारों एवं जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेसिंग प्रणाली की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च, 2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

<u>संख्या- 130/2015/615(1)/22-4-2015-तददिनांक-</u>

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, लखनऊ।

(4) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in